**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या- 940**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर**

**मोतियाबिन्द आपरेशन शिविर आयोजित करने हेतु नियमों में परिवर्तन**

**940. डा॰ संजय सिंहः**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन किए गए मोतियाबिन्द के आपरेशनों की संख्या क्या है और इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनजीओ द्वारा मोतियाबिंद आपरेशन शिविर आयोजित करने के संबंध में नियमों में कोई परिवर्तन हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त संशोधन के कारण, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मोतियाबिन्द के आपरेशन में कमी

आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) : राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14 व 2014-15) के दौरान राष्‍ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण (एनपीसीबी) कार्यक्रम के तहत किए गए मोतियाबिंद आपरेशनों की कुल संख्‍या को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्‍नक-। पर दिया गया है।

गत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14 व 2014-15) के दौरान मोतियाबिंद शल्‍य विवरण अनुलग्‍नक-।। पर दिया गया है।

(ख): बाधारहित नि:शुल्‍क नेत्र शल्‍य चिकित्‍साएं सुनिश्चित करने को ध्‍यान में रखते हुए नेत्र जांच शिविरों हेतु दिशा-निर्देशों का और अधिक विस्‍तार से स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय में परीक्षण किया गया है तथा राज्‍यों को नेत्र ऑपरेशन प्राथमिकता के साथ केवल समर्पित बेस अस्‍पताल ऑपरेशन थियेटरों में करने की सलाह दी गयी है। नेत्र शिविरों को केवल रोगियों की जांच तथा उन्‍हें नेत्र शल्‍य चिकित्‍साओं हेतु बेस अस्‍पताल में लानेके लिए अनुमति होती है। एनपीसीबी के तहत स्‍वीकृत सभी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एवं स्‍वयंसेवी संगठन के लिए एनपीसीबी के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करना आवश्‍यक होता है। एनपीसीबी के तहत गैर पंजीकृत अन्‍य सभी कार्यरत एनजीओ के लिए ओपीडी कार्य तथा नेत्र शल्‍य चिकित्‍साएं करने के लिए ऑपरेशन थियेटरों हेतु अस्‍पताल की स्‍वीकृति के लिए राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण से आवश्‍यक अनुमति लेना जरूरी होता है। राज्‍य प्राधिकरणों को इस उद्देश्‍य हेतु अपने स्‍वयं के दिशानिर्देशों/मापदंड का विकास करना होता है।

(ग): उत्‍तर प्रदेश सहित राज्‍यों से नेत्र शल्‍य चिकित्‍सकों हेतु संशोधित दिशानिर्देशों की वजह से मोतियाबिंद ऑपरेशन की संख्‍या में गिरावट की कोई रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं की गयी है।

**अनुलग्‍नक-।**

**राष्‍ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम**

गत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14 व 2014-15) के दौरान मोतियाबिंद नेत्र शल्‍य चिकित्‍सा हेतु राज्‍यवार उपलब्धि

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **राज्य** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** |  |  |  |  |
|  | **उपलब्धि** | **उपलब्धि** | **उपलब्धि** |  |  |  |  |
| ***प्रमुख राज्य*** |  |  |  |  |  |  |  |
| आंध्र प्रदेश | 526,848 | 491,491 | 304,834 |  |  |  |  |
| बिहार | 281,582 | 271,395 | 271,395 |  |  |  |  |
| छत्तीसगढ़ | 64,306 | 83,926 | 76,050 |  |  |  |  |
| गोवा | 8499 | 9634 | 10,535 |  |  |  |  |
| गुजरात | 790,701 | 780,132 | 791,480 |  |  |  |  |
| हरियाणा | 142,320 | 265,361 | 242,669 |  |  |  |  |
| हिमाचल प्रदेश | 33,911 | 34627 | 34,951 |  |  |  |  |
| जम्मू और कश्मीर | 22,025 | 16,347 | 16,205 |  |  |  |  |
| झारखंड | 81,176 | 81,814 | 77,683 |  |  |  |  |
| कर्नाटक | 388,210 | 364,119 | 363,661 |  |  |  |  |
| केरल | 128,444 | 124,830 | 143,778 |  |  |  |  |
| मध्य प्रदेश | 464,729 | 458,086 | 505,343 |  |  |  |  |
| महाराष्ट्र | 802,266 | 809,012 | 798,326 |  |  |  |  |
| उड़ीसा | 116,595 | 110,342 | 111,211 |  |  |  |  |
| पंजाब | 216,152 | 202,569 | 172,383 |  |  |  |  |
| राजस्थान | 259,126 | 212,926 | 230,026 |  |  |  |  |
| तमिलनाडु | 611,031 | 575,638 | 578,183 |  |  |  |  |
| तेलंगाना |  |  | 223,721 |  |  |  |  |
| उत्तर प्रदेश | 754,670 | 792,619 | 880,290 |  |  |  |  |
| उत्तरांचल | 54,111 | 54,291 | 51,591 |  |  |  |  |
| पश्चिम बंगाल | 346,645 | 348,473 | 258,925 |  |  |  |  |
| ***पूर्वोत्तर राज्य*** | 0 |  |  |  |  |  |  |
| अरुणाचल प्रदेश | 1339 | 1651 | 1511 |  |  |  |  |
| असम | 72,295 | 64,679 | 57,033 |  |  |  |  |
| मणिपुर | 4395 | 3715 | 3594 |  |  |  |  |
| मेघालय | 2014 | 1576 | 1337 |  |  |  |  |
| मिजोरम | 2088 | 1898 | 2006 |  |  |  |  |
| नगालैंड | 905 | 651 | 862 |  |  |  |  |
| सिक्किम | 428 | 303 | 210 |  |  |  |  |
| त्रिपुरा | 6743 | 6372 | 8180 |  |  |  |  |
| ***केंद्र शासित प्रदेश*** | 0 |  |  |  |  |  |  |
| अंडमान एवं निकोबार निकोबार | 504 | 284 | 765 |  |  |  |  |
| चंडीगढ़ | 10,251 | 11,173 | 10,874 |  |  |  |  |
| दादर व नगर हवेली | 4307 | 495 | 1496 |  |  |  |  |
| दमन और दीव | 0 | 503 | 330 |  |  |  |  |
| दिल्ली | 87,912 | 75,186 | 85,260 |  |  |  |  |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| पांडिचेरी | 16,366 | 7032 | 15,284 |  |  |  |  |
| **कुल योग** | **6302894** | **6263150** | **6331982** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **अनुबंध- II** | | | |
| **राष्‍ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम** | | | |
| **एनपीसीबी के तहत गत 3 वर्षों के दौरान मोतियाबिंद शल्‍य चिकित्‍सा हेतु जारी सहायता अनुदान** | | | |
|  |  |  |  |
| **राज्य / संघ राज्‍य क्षेत्र** | **मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए जारी सहायता अनुदान** | **मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए जारी सहायता अनुदान** | **मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए जारी सहायता अनुदान** |
| **प्रदेशः** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** |
| आंध्र प्रदेश | 1,556.36 | 194.20 | 285.12 |
| बिहार | 0.00 | 0.00 | 208.64 |
| छत्तीसगढ़ | 216.62 | 159.86 | 476.53 |
| गोवा | 50.90 | 35.41 | 45.00 |
| गुजरात | 750.00 | 430.68 | 838.38 |
| हरयाणा | 102.28 | 0.00 | 121.05 |
| हिमाचल प्रदेश | 92.50 | 0.00 | 0.00 |
| जम्मू और कश्मीर | 108.77 | 0.00 | 245.50 |
| झारखंड | 297.71 | 346.06 | 208.59 |
| कर्नाटक | 946.62 | 357.86 | 947.37 |
| केरल | 64.79 | 58.24 | 185.97 |
| मध्य प्रदेश | 792.59 | 0.00 | 300.00 |
| महाराष्ट्र | 882.86 | 631.30 | 225.00 |
| उड़ीसा | 134.33 | 81.67 | 393.15 |
| पंजाब | 150.00 | 230.00 | 235.46 |
| राजस्थान | 612.35 | 204.38 | 784.77 |
| तमिलनाडु | 2,080.00 | 0.00 | 1,549.07 |
| तेलांगना | 0 |  | 151.25 |
| उत्तर प्रदेश | 658.44 | 731.89 | 215.18 |
| उत्तराखंड | 216.17 | 30.83 | 313.65 |
| पश्चिम बंगाल | 507.76 | 649.74 | 356.43 |
| अरुणाचल प्रदेश | 15.00 | 18.28 | 29.50 |
| असम | 439.67 | 664.42 | 677.22 |
| मणिपुर | 39.75 | 35.19 | 70.00 |
| मेघालय | 15.20 | 13.03 | 25.80 |
| मिजोरम | 29.91 | 19.81 | 28.50 |
| नगालैंड | 9.06 | 14.39 | 16.50 |
| सिक्किम | 15.39 | 5.01 | 8.00 |
| त्रिपुरा | 31.55 | 0.00 | 49.75 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1.23 | 0.12 | 1.50 |
| चंडीगढ़ | 18.75 | 0.00 | 10.07 |
| दादर व नगर हवेली | 21.83 | 0.00 | 0.00 |
| दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 79.49 |
| लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 7.52 |
| पांडिचेरी | 0.45 | 23.10 | 26.89 |
| **कुल** | **10858.84** | **4,935.47** | **9,116.85** |